सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः—एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/60220-59 जयपुर दिनांक 07/10/2015

समस्त जिला कलक्टर

....

विषय :— समाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में जारी किये गये दिशा निर्देश दिनाकं 09.09.15की अनुपालना करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय में दायर सिविल अपील पिटिशन स0 5854/1994 कु0 माधुरी पाटील बनाम महाराष्ट्र सरकार व अन्य प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 28.04.97 की अनुपालना में अनुसूचित जाति/जनजाति , अन्य पिछडी जाति एवं विशेष पिछडी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में समाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.15 द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है जिनकी प्रतियाँ आपको प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त दिशा निर्देशो में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये नायब तहसीलदार /तहसीलदार के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया गया है। वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र ई—गर्वनेंस के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया एवं नायब तहसीलदार/तहसीलदार के डिजीटली हस्ताक्षर युक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था सूचना प्रोधोगिकी विभाग द्वारा की हुयी है।

अतः नवीन दिशा निर्देशों के अनुसरण में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया एवं नायब तहसीलदार /तहसीलदार के डिजीटली हस्ताक्षर के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी के डिजीटली हस्ताक्षर से जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चीत करावें।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव